संख्या–2575/77–6–20–एल.सी. 32/15 टी.सी.–3

प्रेषक,

आलोक टंडन,
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

औद्योगिक विकास अनुभाग–6 **लखनऊ : दिनांक 16 सितम्बर, 2020**

विषयः– प्रदेश में प्रख्यापित होने वाले अधिनियमों/नियमों/लाइसेंसो के प्रख्यापन से पूर्व की प्रकिया के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के उद्योग संवर्धन एवं आन्तरिक व्यापार विभाग (DPIIT) द्वारा वर्ष 2020–21 के राज्य स्तरीय सुधारों हेतु जारी दिशा–निर्देशों के बिन्दु–03 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार प्रदेश में नियमों/अधिनियमों एवं लाइसेंसों को प्रभावी करने से पूर्व निम्नलिखित प्रक्रियाओं का सम्बन्धित विभागों द्वारा अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाना है–

1. **विधिक आधार**

   कोई भी नियम/अधिनियम/लाइसेंस बनाए जाने से पूर्व सम्बन्धित विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वह सरकार की नीतियों, अधिनियमों एवं नियमों के अनुरूप विधिक रूप से मान्य है।

2. **आवश्यकता**

   कोई भी नियम/अधिनियम/लाइसेंस बनाए जाने से पूर्व सम्बन्धित विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यह सरकार के उद्देश्यों/लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यक है।

3. **व्यवसाय परक**

   कोई भी नियम/अधिनियम/लाइसेंस बनाए जाने से पूर्व सम्बन्धित विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बनाए जा रहे नियम/अधिनियम/लाइसेंस व्यवसायों पर अनावश्यक रूप से बाधक न होते हुए यह व्यवसाय परक होंगे।

अतः अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त के संबंध में अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नकःयथोक्त।

भवदीय,

(आलोक टंडन)
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त

संख्या–2575(1)/77–6–20–एल.सी. 32/15 टी.सी.–3, तद्दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/सचिव/विशेष सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0, 12–सी, माल एवेन्यू, लखनऊ।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

Scanned with CamScanner

State Reforms Action Plan

Sr. No.	Area	Sub - Area	Reform	New Reform
1.	Investment Enablers	Access to Information and Transparency	Design and implement an online wizard/system with the following features: i. Where an investor can key in specific details (such as type of industry, number of employees, location etc.) and obtain information regarding all State approvals applicable to establishing (pre-establishment) & starting operations (pre-operations) of her/his business/industrial unit ii. The online wizard should provide links to online application forms for licenses/ NOCs required by users and their relevant notifications wherever necessary (pre-establishment & pre-operation). iii. The online wizard should provide details such as time taken, fees, procedures, comprehensive list of documents required, Departments involved for the applicable NOCs/registrations etc. **iv. Mandate to include additional new regulation or license in the online wizard/system within 30 days**	
2.		Access to Information and Transparency	Enact a legislation (e.g. Right to Services Act/Public Service guarantee Act) to mandate time-bound delivery of services to Industries/ Businesses. Ensure that the time-bound service delivery legislation defines punitive provisions for those violating the timelines guaranteed for services delivery to industry and businesses	
3.		Access to Information and Transparency	**Mandate that each proposed regulation or license (before it is enacted) ensure coverage of following criteria displayed on the website:** **i. Legal Basis - Does it have a basis in law/act/policy** **ii. Necessity - Does the license help government achieve its objectives** **iii. Business-friendly - Does it impose minimum burden on businesses to achieve the government's objectives**	Yes
4.		Access to Information and Transparency	Mandate and make arrangements to publish draft business regulation online and invite public comments/ feedback on the same prior to enactment - The period of display should be at least 30 days	Yes

Scanned with CamScanner